[To be published in Part I Section I of the Gazette of India]

Government of India
Ministry of Textiles

New Delhi, the 24th June,2021

RESOLUTION

No. 11/04/2020-Samarth: Ministry of Textiles has launched a special skill development and training programme for cotton farmers in mechanised cotton plucking under Samarth Scheme. This special skill development training and capacity building will be implemented through M/s Cotton Corporation of India Limited (CCI), which is a Central Public Sector Undertaking, engaged in cotton procurement. Guidelines for Skill development and training of cotton farmers in Mechanised Cotton Plucking under Samarth through Cotton Corporation of India (CCI) are laid down as under:

1. Objective

Cotton farming is one of the technologically unprivileged sectors of the farmers, who need capacity building through modernisation and mechanisation. Mechanised cotton plucking improves the harvesting and productivity enhances the quality of cotton, over hand plucking of cotton during harvesting season. In order to improve livelihood of the cotton farmers, Ministry of Textiles has decided to launch the special skill development programme exclusively for cotton farmers of the country through CCI. The programme is targeting one lakh beneficiaries in one year implementation period.

2. Guidelines of the project:

Cotton Corporation of India (CCI) will be implementing partner (IP) for this Special Project under Samarth Scheme.

2.1 Approval of Training Centres

CCI shall provide the training centres with requisite infrastructure for conducting the training programme in terms of the NSQF aligned course and facilities at their own cost. The training centers should be equipped with the following:

- Furniture, layout and signage board
- Practical and Theory training room. Emphasis is placed on practical aspect.
- Machinery - Machine: Trainee ratio shall be in line with the course requirements specified by the RSA
- Training aids and equipment, as per industry benchmarks and specified by RSA

- Attendance facility for both trainers and trainees in the training centres for classroom led training and not applicable for practical training
- Fire-fighting equipment
- First aid, hygiene, drinking water and washroom facilities
- Power back up

2.2 Mobilization and Selection of the Trainees

The CCI will be responsible for mobilization and selection of the trainees, keeping in view the requirements of farmers. Preference will be given to the marginalized social groups like women, SC/ST, differently-abled persons, minorities, persons from the BPL category and 115 Aspirational Districts notified by the NITI Aayog.

2.3 Selection of trainees

The selection process for identifying the trainees shall be transparent and inclusive. The trainee must be a citizen of India possessing an Aadhaar Card (unless exemptedunder Aadhaar Act, 2016) with age over 14 years.

2.4 Attendance System

AEBAS (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) integrated with centralized MIS mandated in the scheme will be ensured for classroom trainings. In cases, where there is any difficulty in network connectivity, the authorized officer of CCI will certify the attendance.

2.5 Trainers and Training of Trainers (ToT)

Each of the training centres will be run by qualified trainers and support staff. The capacity of the trainers shall be enhanced through a comprehensive Training of Trainers (ToT) programme. Training of Trainers will be conducted by the Research Support Agency (RSA).The qualification and experience of the trainers will be finalized by RSA in consultation with CCI.

2.6 Course Content

CCI will conduct the programme only for the NSQF aligned courses adopted under the scheme by RSA. Use of multimedia content and other applications of Information Technology (IT) would be encouraged.

2.7. Assessment and Certification

Third Party Assessment and Certification will be mandatory for all the eligible trainees. The RSA will specify the assessment protocol and procedure in-line with the Common Norms adopted by M/o Skill Development & Entrepreneurship (MSDE).A

comprehensive assessment protocol will be developed by RSA to ensure a transparent process of assessment of the trainees by the empanelled Assessment Agencies. Assessment Agencies will be required to ensure video recording of the entire assessment process. Only empanelled assessors will be allowed to conduct the assessment. The result of the assessment will be uploaded on MIS on the day of assessment. RSA will also conduct surprise visits for monitoring the process of assessment. In case of any discrepancy or in case the assessment process is compromised by any assessment agency, penalty will be imposed on them as per the provisions of penalty matrix.

After assessment of the candidates, based on the marks obtained, a certificate with the following grades will be given:

Marks Scored	Grade
> 85%	A
70% - 85%	B
60% - 69%	C

2.8. Placement and Post Placement Tracking

There shall be minimum70% self-employment of the successful trainees under the scheme in Cotton segment which will be completed by CCI. The candidates should be gainfully employed in livelihood enhancement occupations. A self-declaration by the candidate confirming his/ her self-employment will be uploaded on MIS by CCI.

2.9 Post Placement Tracking

Each trainee will be tracked by CCI for a period of one year from the date of certification of training.

2.10 Monitoring and Management Information System (MIS)

The verification of training centres' infrastructure, including evaluation of training centres' capacity for target allocation will be carried out by CCI as per the course-wise criteria defined by RSA for approved NSQF courses and details of TCs will be uploaded in MIS on real time basis through the procedure adopted under the scheme. All aspects of programme management and implementation such as enrolment of candidates, functioning of training, attendance, physical verification, assessment, placement, post-placement tracking etc. will be managed through MIS developed and managed by Project Management Unit (PMU).

2.11 Funding

The assistance under the scheme will be only towards the cost heads covered under the Common Norms of the MSDE and agreed to by the Ministry under this

scheme. The indicative funding of the project will be defined by the total allocated target and cost per trainee. However, in case the cost per trainee actually incurred by the CCI is less than the cost worked out as per the above base cost, only the actual cost will be reimbursed to the implementing partner. The release of funds to CCI will be on following pattern:

Instalment	% of fund	Stage of release and criteria
1	40%	Upon sanction of project by Empowered Committee and execution /submission of necessary agreements/ documents
2	40%	On achievement of 70% physical and financial progress in proportionate to the already released fund and submission of relevant documents i.e. UC, Expenditure statement etc.
3	20%	On achievement of 70% physical and financial progress in proportionate to the already released fund and submission of relevant documents i.e. UC, Expenditure statement etc.

CCI will have to follow the GFR procedure towards utilization of the funds and all claims shall be supported by the requisite documents such as Utilization Certificate, Expenditure Statement, Valuation Certificate, Project Progress Report etc. It shall be required to implement PFMS [Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module]in respect of the financial support provided under the Scheme. There will be no direct transfer of funds to the beneficiary from the provision of assistance under the scheme.CCI will follow the financial norms which include but may not be limited to the following:

- Entering into necessary MoU with Ministry
- Opening a dedicated Escrow Bank Account and mapping on PFMS;
- Appointment of an independent Auditor for conducting quarterly audit, annual audit and final audit after completion of the project as per rules and regulations prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
- Submission of any other document(s) as sought by the Ministry.

Cost for assessment and certification of trained candidates shall be payable to the empanelled assessment agency @ Rs. 800 per candidate separately, through the RSA.

2.12 Other requirements

CCI will be required to comply with the guidelines regarding Internal Complaints Committee to be constituted under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 to become eligible for funding under the scheme.

4. This guidelines will only be applicable for the training programme undertaken by CCI for Cotton Farmers. Any doubt in implementation of the provisions of this guidelines to be got clarified from Ministry of Textiles.

(Nihar Ranjan Dash)
Joint Secretary to the Government of India
Date:

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that the Resolution may be communicated to the concerned Ministries/ Departments/ Organizations.

(Nihar Ranjan Dash)
Joint Secretary to the Government of India
Date:

To,

The Manager,
Government of India Press,
(Bharat Sarkar Press),
Mayapuri.

(भारत के राजपत्र के भाग । खंड । में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली: 24 जून, 2021

संकल्प

सं. 11/04/2020-समर्थ: समर्थ योजना के तहत वस्त्र मंत्रालय ने कपास किसानों के लिए मशीनीकृत कपास चुनने में विशेष कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का क्रियान्वयन कपास की खरीद में संलग्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कपास निगम लि. द्वारा किया जाएगा। समर्थ के तहत भारतीय कपास निगम लि. के माध्यम से मशीनीकृत कपास चुनने में कपास किसानों के कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत निर्धारित किए गए हैं:

1. **उद्देश्य:**

कपास की खेती उन किसानों के तकनीकी रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक है जिन्हें आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। फसल के दौरान हाथ से कपास चुनने पर मशीनीकृत कपास की तुड़ाई से कटाई में सुधार होता है और उत्पादकता कपास की गुणवत्ता बढ़ाती है1 कपास किसानों की आजीविका को सुधारने के प्रयोजन से वस्त्र मंत्रालय ने विशेष कौशल विकास कार्यक्रम सीसीआई के माध्यम से विशेष रूप से देश के कपास किसानों के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। एक वर्ष की क्रियान्वयन अवधि में यह कार्यक्रम एक लाख लाभार्थियों को लक्षित कर रहा है।

2. **योजना के दिशा-निर्देश**

समर्थ योजना के तहत इस विशेष योजना के लिए भारतीय कपास निगम क्रियान्वयन सहयोगी रहेगा।

2.1 **प्रशिक्षण केंद्रों का अनुमोदन**

एनएसएफक्यू संरेखित पाठ्यक्रम और सुविधाओं के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए भारतीय कपास निगम स्वयं के खर्चे पर आवश्यक अवसंरचना सहित प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करेगा। प्रशक्षिण केंद्र निम्नानुसार सुसज्जित किए जाने चाहिए :

- फर्नीचर, रूपरेखा और साइन बोर्ड
- व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण कक्ष
- मशीनरी: मशीन : प्रशिक्षु अनुपात आरएसए द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम आवश्कयता के अनुरूप होगा।
- उद्योग मानको के अनुसार और आरएसए दववारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सहायता और उपकरण ।

- कक्ष संचालित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं दोनों के लिए उपस्थिति सुविधा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए लागू नहीं।
- अग्नि शमन उपकरण
- प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल और प्रसाधन सुविधाएं
- विद्युत बैकअप

2.2 प्रेरणा और प्रशिक्षणार्थियों का चयन

किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षुओं को जुटाने एवं चयन के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) उत्तरदायी होगा। हाशिए के सामाजिक समूहों जैसे महिलाओं, अनु.जा./ज.जा., विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों , बीपीएल श्रेणी से व्यक्तियों और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित 115 आकांक्षी जनपदों को वरीयता दी जाएगी।

2.3 प्रशिक्षणार्थियों का चयन

प्रशिक्षणार्थियों की पहचान करने के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं समावेशी रहेगी। 14 वर्ष से ऊपर के आधार कार्डधारक (जब तक कि आधार अधिनियम 2016 के तहत छूट न हो) प्रशिक्षणार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

2.4 उपस्थिति प्रणाली

योजना में कक्षा प्रशिक्षणों के लिए अनिवार्य केंद्रीयकृत एमआईएस के साथ एकीकृत आधार सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। नेटवर्क कनेक्टविटी में किसी भी कठिनाई की स्थिति में भारतीय कपास निगम, (सीसीआई) का अधिकृत अधिकारी उपस्थिति को प्रमाणित करेगा।

2.5 प्रशिक्षक और प्रशिक्कों का प्रशिक्षण

प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र को योग्य प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ द्वारा चलाया जाएगा। प्रशिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अनुसंधान सहायता अभिकरण (आरएसए) द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के परामर्श से योग्यता एवं अनुभव को आरएसए द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

2.6 प्रशिक्षण सामग्री

सीसीआई केवल आरएसए द्वारा योजना के तहत अपनाए गए एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम संचालित करेगा। मल्टीमीडिया सामग्री और सूचना प्रोदयोगिकी के अन्य अनुप्रयोगों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.7 मूल्यांकन एवं प्रमाणन

सभी पात्र प्रशिक्षुओं के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन अनिवार्य होगा। आरएसए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय(एमएसडीई) द्वारा अपनाए गए सामान्य मानकों के अनुरूप मूल्यांकन प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा। पैनल में शामिल मूल्यांकन अभिकरण द्वारा प्रशिक्षुओं की पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आरएसए द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रोटोकाल विकसित किया जाएगा। संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉडिंग सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन अभिकरणों की आवश्यकता होगी। केवल नामित मूल्यांककों को मूल्यांकन करने की अनुमति दी जाएगी। मूल्यांकन के दिन मूल्यांकन का परिणाम एमआईएस पर अपलोड किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करने के लिए आरएसए औचक निरीक्षण करेगी। किसी भी विसंगति की स्थिति में या मूल्यांकन प्रक्रिया पर मूल्यांकन अभिकरण द्वारा समझौता करने पर पैनल्टी मैट्रिक्स के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित ग्रेड के साथ एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

प्राप्तांक	ग्रेड
➢ 85%	क
70% - 85%	ख
60% - 69%	ग

2.8 स्थापन एवं स्थापन अनुवर्ती ट्रेक्रिग :

इस योजना के तहत कपास क्षेत्र में सफल प्रशिक्षणार्थी का न्यूनतम 70% स्वरोजगार होगा जिसको भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा पूर्ण किया जाएगा। उम्मीदवारों को आजीविका वृद्धि व्यवसाय में लाभकारी रूप से नियोजित किया जाना चाहिए। अपने स्वरोजगार की पुष्टि करने वाले उममीदवार द्वारा एक स्वघोषणा सीसीआई द्वारा एमआईएस पर अपलोड की जाएगी।

2.9 स्थापनवर्ती ट्रैकिंग

प्रशिक्षण के प्रमाणन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक प्रशिणार्थी की भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा ट्रैकिंग की जाएगी।

2.10 मानीटरिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

लक्ष्य आवंटन के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के मूलयांकन सहित प्रशिक्षण केंद्रों की अवसंरचना का सत्यापन भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा अनुमोदित एनएसएफक्यू पाठ्यक्रमों के लिए किया जाएगा और टीसीएस का ब्योरा आर एस ए द्वारा परिभाषित पाठ्यक्रमवार मानदंड के अनुसार वास्तविऩ समय के आधार पर एमआइ्एस में अपलोड किया जाएगा । कार्यक्रम प्रबंधन और क्रियान्वयन के सभी घटकों जैसे उम्मीदवारों का नामांकन, प्रशिक्षण संचालन, हाजिरी, भौतिक सत्यापन,

मूल्यांकन , स्थापन, स्थापनवर्ती ट्रैकिंग आदि योजना प्रबंधन ईकाइ (पीएमयू) द्वारा विकसित और प्रबंधित एमआईएस के माध्यम से प्रबंधित किया जायेगा।

2.11 वित्त पोषण

इस योजना के तहत सहायता केवल एमएसडीई सामान्य मानदंडों के तहत कवर किए गए लागत शीर्षो के लिए होगी और इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा सहमति व्यकत की जायेगी । कुल आवंटित लक्ष्य और प्रति प्रशिक्षु लागत द्वारा परियोजना के सांकेतिक विन्त पोषण को परिभाषित किया जायेगा। तथापि, यदि सीसीआई द्वारा व्यय की गई वास्तविक रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी लागत से कम है, तो केवल वास्तविक लागत ही क्रियान्वयन सहयोगी को वापिस की जाएगी। सीसीआई को निम्नलिखित तरीके से निधियॉ जारी की जाएगी:

किस्त	निधि का प्रतिशत	अदायगी के स्तर एवं मानदंड
1	40%	अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति और आवश्यक अनुबंध/ दस्तावेजों के निष्पादन /प्रस्तुत करने पर ।
2	40%	पहले से जारी निधि के अनुपात में 70% भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्राप्ति पर और प्रासंगिक दस्तावेजों अर्थात यूसी, व्यय विवरण आदि के प्रस्तुतीकरण पर
3	20%	पहले से जारी निधि के अनुपात में 70% भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्राप्ति पर और प्रासंगिक दस्तावेजों अर्थात यूसी, व्यय विन्रण आदि के प्रस्तुतीकरण पर

सीसीआई को निधि की उपयोगिता हेतु जीएफआर प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा और सभी दावों के समर्थन में उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय विन्रण , मूल्यांकन प्रमाणपत्र, परियोजना प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किए जाएंगे । योजना के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में (पीएफएमएस) [व्यय अग्रिम एवं स्थानांतरण (ईएटी) प्रारूप] के क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। योजना के तहत सहायता प्रावधानों से लाभार्थी को कोई भी सीधे धनराशि का हस्तातंरण नहीं होगा । सीसीआई वित्तीय मानकों का अनुपालन करेगी जो कि समावेशी होंगे न कि निम्नलिखित तक सीमित :

- मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना
- समर्पित समिति एसक्रो बैंक एकाउंट खोलना और पीएफएमएस पर मैपिंग करना।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित नियम एवं विनियमों के अनुसार योजना के पूर्ण होने पर तिमाही, वार्षिक और अंतिम लेखा परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति
- मंत्रालय द्वारा मांगे गये अन्य कोई दस्तावेज (दस्तावेजों) का प्रस्तुतीकरण

प्रशिक्षित उम्मीदवारों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन की लागत आरएसए के माध्यम से पैनल में शामिल मूल्यांकन अभिकरण को 800/- रुपए प्रति उम्मीदवार पृथक रूप से देय होगी।

2.12 **अन्य अपेक्षाएं**

सीसीआई को योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम , निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाने वाली आंतरिक शिकायात समिति के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

4. यह दिशा निर्देश केवल कपास किसानों के लिए सीसीआई द्वारा किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ही लागू होंगे।

निहार रंजन दाश

(निहार रंजन दाश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दिनांक:

आदेश

आदेश दिया कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया कि संकल्प को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को संसूचित किया जाए।

निहार रंजन दाश

(निहार रंजन दाश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दिनांक:

प्रति
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
(भारत सरकार प्रेस)
मायापुरी